(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : इकबाल सिंह बैंस

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3807/पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.09.2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 04/11-12/स्व.निगरानी

---

1. श्री जगदीश पुत्र होलू
2. श्री रामज्ञान पुत्र होलू
3. श्री संतोष पुत्र होलू
4. श्री महेश पुत्र होलू
5. आशाराम पुत्र दुर्गा नाई

समस्त निवासीगण ग्राम बरौआ नूराबाद
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. हरप्रीत सिंह
3. जगजीत सिंह पुत्रगण चरनजीत सिंह

दोनों निवासीगण ग्राम बरौआ, नूराबाद,
तहसील व जिला ग्वालियर, म.प्र.

4. स्मार्ट इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस लिमिटेड
ए-8, मोदीनगर बिल्डिंग रोड, चन्द्रावरकर लेन,
नोरीबली वेस्ट मुम्बई जरिये डायरेक्टर
अशोक कुमार माखीजा पुत्र प्रेमचंद माखीजा
निवासी-108/49 गांधीनगर कानपुर उ.प्र. .....अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र जैन, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28-8-19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 09.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बरौआ नूराबाद, तहसील ग्वालियर के सर्वे क्रमांक 1131, 1132, 1133 में से अपने आदेश दिनांक 13-3-90 के द्वारा तहसीलदार ने भूमि का पट्टा जगदीश, रामज्ञान, संतोष, महेश सभी पुत्रगण होलू नाई एवं होलू नाई पुत्र दुर्गा नाई तथा आशाराम पुत्र दुर्गा नाई को आबंटित किये । पट्टेदारों ने उक्त भूमि प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2, 3 को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय कर दिया । इस विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण भी कर दिया । पट्टे की शर्तों एवं संहिता की धारा 165 (7) ख का उल्लंघन पाये जाने पर जिला कलेक्टर ने अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 04/11-12/स्व.निगरानी में दिनांक 9-9-13 को आदेश पारित कर भूमि का बंटन आदेश निरस्त कर दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी वृत लश्कर, जिला ग्वालियर को शासकीय अभिलेखों में प्रविष्टि करने के निर्देश दिये । कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके एवं उनके पिता होलू के द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय नहीं की गई है और वे भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं । गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 2, 3 तथा 4 द्वारा भूमि पर नामांतरण कराया है तो वह फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों पर आधारित है । ऐसी स्थिति में किया गया नामांतरण भी अधिकार रहित एवं निष्प्रभावी है । अत: संहिता की धारा 165 (7) ख के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होंगे । उन्होंने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना होलू के वारिसों को अभिलेख पर लिये आदेश पारित किया है, जबकि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जाना वर्जित है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2010(4) म.प्र. लॉ. जनरल 178 रणवीरसिंह विरूद्ध म.प्र. राज्य में प्रतिपादित न्याय उद्धरण पेश करते हुए अनुरोध किया कि आदेश की जानकारी होने पर 180 दिन के अन्दर स्वनिगरानी प्रकरण

स्थापित करने की समय-सीमा निर्धारित है । इस प्रकरण में अपर कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 28-8-2009 के आधार पर वर्ष 2012 में प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया है, जो कि उक्त स्थापित विधि न्याय सिद्धांत के विपरीत है । उन्होंने यह भी कहा कि क्रय करने के पश्चात उन्होंने भूमि को धन एवं श्रम व्यय करके उन्नत खेती के योग्य बनाया है । अत: इस सम्पत्ति से वंचित करना न्यायोचित नहीं है । जिन व्यक्तियों का भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित है, उनसे पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि अर्जित कर अपना नामांतरण कराया है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 1 म.प्र. शासन के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

6/ पक्षकारों की बहस पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अध्ययन किया । यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर दी गई थी तथा उसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय किया गया है । इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि भूमि का विक्रय फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया है तथा उसके आधार पर किया गया नामांतरण निष्प्रभावी है । यदि निगरानीकर्ता क्रमांक 1 से 5 भूमि पर काबिज है तथा विक्रय पत्र को वह कूटरचित मानते हैं तो उन्हें ऐसे विक्रय पत्र को निष्प्रभावी करवाने के लिए दीवानी न्यायालय में प्रकरण दर्ज करना चाहिए था । जहां तक होलू की मृत्यु का प्रश्न है, अभिलेख में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है, जिसमें होलू पिता दुर्गा नाई की मृत्यु दिनांक 22-11-2009 दर्ज है । जिला कलेक्टर के राजस्व प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 2-7-2012 में होलू की मृत्यु का उल्लेख किया गया है तथा उसके वारिसानों की जानकारी देने के निर्देश स्पष्ट अंकित हैं । आदेश पत्रिका दिनांक 18-1-2013 में होलू के देहांत का उल्लेख है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत उसके नाम से पट्टे की भूमि का उपयोग आवेदक क्रमांक 1 से 4 द्वारा किए जाने का भी उल्लेख है । मृतक पट्टेदार की भूमि का वारिसान हक में अंतरण करवाने का दायित्व वारिसानों का होता है । उन्हें आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपना दावा पेश करना चाहिए था । इस निगरानी में होलू की तत्समय मृत्यु होने के आधार पर जिला कलेक्टर के आदेश को

शून्य मानना न्यायोचित नहीं होगा । उसकी मृत्यु की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में उल्लेखित है और उसी प्रकरण में उसके वारिस पुत्र पक्षकार भी हैं । अत: वारिसों को रिकार्ड पर न लाने का प्रकरण के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । प्रकरण के इन तथ्यों को देखते हुए अगर उसके वारिसानों को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाने की कार्यवाही नहीं भी की गई तो वह कलेक्टर के आदेश को अपास्त कराने का आधार नहीं हो सकती । होलू के वारिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वत: उपस्थित होते रहे हैं तथा यह उनका दायित्व था कि अगर कोई अन्य वारिस था तो उसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को देते । अत: विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मानने योग्य नहीं है । अनावेदक क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि 180 दिन के बाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाना संभव नहीं था, स्वीकार योग्य नहीं है । राजस्व न्यायालय को जनहित एवं शासन हित में इस सीमा को शिथिल करने का पूरा अधिकार है ताकि पूर्व में हुए किसी गंभीर अनियमितता को सुधारा जा सके ।

7/ प्रकरण के तथ्यों के आधार पर यह निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है । कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/11-12/स्व.निगरानी में पारित दिनांक 9-9-13 स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये ।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर